सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

जसवन्त सिंह वगैरा बनाम स्टेट

मनफूल राम बनाम स्टेट

1. प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी जसवन्त सिंह

2 प्रार्थना पत्र 144 सीपीपी मनफूल राम बसिलसिला प्रकरण सं0 01/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
09.01.2018	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 152 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा धारा 144 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें अदालतवाला द्वारा दिनांक 26.09.2017 को आदेश पारित कर दिया था। आदेश पारित करते समय मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 17, व 25 कुल 3.163 हैक्टर भूमि का कब्जा वापिस दिलाने के आदेश दिये है। हालांकि प्रार्थी का रकबा तो 3.163 हैक्टर ही है, लेकिन ये मुरब्बा नम्बर 49 व मुरब्बा नम्बर 3 में मुश्तर्का खाता में 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा है। इसलिए उक्त आदेश में मुरब्बा नम्बर 49 का 3.163 हैक्टर का कब्जा अगर वापिस दिया जाता है तो इसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है केवल 6.05 बीघा पडते है और दूसरे 6.05 बीघा मुरब्बा नम्बर 3 में पडते है। प्रार्थी ने जमीन रवि बैसपन से खरीद की थी। रवि बैसपन के साथ मनफूल का नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज है। इसलिए इस आदेश को संशोधित करते हुए प्रार्थी द्वारा जो रकबा 3.163 है. का कब्जा दिया जाना है वह हिस्से के अनुसार दोनो मुरब्बो मे से दिये जाने का आदेश प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 04.01.2018 एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पूर्व में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी मनफूलराम पुत्र हरभज राम जाति मेघवाल निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भी सघ्य प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 17.10.2013 उनके पक्ष में हो चुका है तथा इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 जिसके द्वारा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक घोषित की गई थी, को निरस्त कर दिया गया है। बहस में यह भी बताया है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण की चक 29 जीबी(ए) मुरब्बा नम्बर, 49 व 3 के कुल 6.326 हैक्टर जमीन का कब्जा वापिस देकर इंतकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करें। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में नजीर पेश की है:— 1. आर.आर.डी. वर्ष 1989 पेज—104 SHRI C-S- GOYAL : MEMBER Gopal Singh V. State of Raj-[50] Civil Procedure Code, Section 144-Order dt. 17.05.1982 in ceiling proceedings for tasking over 'excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 [3],	

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

setting aside of the Collector's order by Board , Petitioners had become entitled to restitution and to be placed in same Position as obtaining before order dt. 17-05-82 –He could Not be treated as trespasser- Orders imposing penalty, quashed [Para-4]

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17.10.2013 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्याधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार उक्त प्रार्थी मनफूल राम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा के विधिक उतराधिकारीगण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर 49.00 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.04.2003 के क्रम में मु.न. 49 का कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल सख्या 63 दिनांक 15.11.95 मु.न. 49 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 17 व 25 कुल 3.163 हैक्टर व मु.न. 03 का कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल नम्बर 77 दिनांक 15.11.1995 व मु.न. 03 के किला नम्बर 1/1 में 0.126 किला नम्बर 9/1 में 0.127 किला नम्बर 10 ता 12 में 0.659 व किला नम्बर 13/1 में 0.126 व 18 ता 24 में 1.771 किला नम्बर 25/1 में 0.126 कुल 3.163 कुल 6.326 हैक्टर न्यायालय के आदेश की पालना में क्रमांक 3917 दिनांक 21.10.95 को आराजी राज स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2003 को अप्रार्थी जसवन्त सिंह व उसके वारिसान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.10.2013 से अपील स्वीकार करते हुए भूमि सीलिंग सीमा से कम मानी गई व इस न्यायलय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त कर अपीलार्थी के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त हस्तान्तरण सदभावी है अथवा नही इसकी विस्तृत जांच कर तथा राज्य सरकार भूमिधारी एवं ट्रान्सफरीज को सुनकर स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17.10.2013 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का अपील में निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र क्रमशः अ0 धारा 152 व 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अ0 धारा 152–144

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीविजयनगर

सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मु.न. 49 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 17 व 25 कुल 3.163 हैक्टर व मु.न. 03 के किला नम्बर 1/1 में 0.126 किला नम्बर 9/1 में 0.127 किला नम्बर 10 ता 12 में 0.659 व किला नम्बर 13/1 में 0.126 व 18 ता 24 में 1.771 किला नम्बर 25/1 में 0.126 कुल 3.163 कुल 6.326 न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश कमांक 3917 दिनांक 21.10.95 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है । उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।